राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
रायपुर, छत्तीसगढ़

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

क्र. 20 /मि.सं./रा.स्व.भा.मि/पं.ग्रा.वि.वि/2019, रायपुर, दिनांक 06/04/2019

प्रति,

अपर विकास आयुक्त,
विकास आयुक्त कार्यालय,
छत्तीसगढ़, अटल नगर, रायपुर।

विषय :– **लेखाओं के निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 02/2014 से 09/2018 तक का पालन प्रतिवेदन भेजने बाबत्।**

संदर्भ :– **आपका पत्र क्रमांक 695/वित्त/2018–19 अटल नगर, रायपुर दिनांक 01/03/2019।**

——00——

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि लेखाओं के निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि फरवरी, 2014 सितम्बर, 2018 तक में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से संबंधित पैरा पर विभागीय टीप निम्नानुसार है :–

1/ लेखा परीक्षा में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में जारी केन्द्रांश को विलम्ब से राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को हस्तांतरित करने के संबंध में 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की पेनाल्टी की राशि रू. 2,20,12,856/– राज्य शासन द्वारा मिशन संचालक, राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को हस्तांतरित न किए जाने पर आपत्ति दर्ज की गई है।

2/ वित्तीय वर्ष 2017–18 में केन्द्रांश प्राप्त होते ही इस कार्यालय द्वारा केन्द्रांश एवं समतुल्य राज्यांश आहरण के संबंध में नस्ती राज्य शासन को भेजी गयी थी। चूंकि, आहरण में हुए उक्त विलम्ब मिशन कार्यालय से नहीं हुआ है। अतः इस संबंध में केन्द्रांश विलंब से आहरण कर मिशन कार्यालय को भेजे जाने की पेनाल्टी राशि रू. 2,20,12,856/– राज्य शासन द्वारा मिशन संचालक, राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को हस्तांतरित किए जाने का लेख किया गया है। इस संबंध में कार्यवाही राज्य शासन स्तर से की जानी है।

6/4/19

(नरेन्द्र कुमार दुग्गा)
मिशन संचालक
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

Scanned by CamScanner